राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :–84 / 2025

सचिन पांडिया –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त निदेशक, स्थानिय निकाय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशक स्थानिय निकाय, जयपुर।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्, डूंगरपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कामिनी जोशी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक नगर नियोजक के पद पर जिला परिषद्, डूंगरपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से नगर परिषद्, धौलपुर में 700 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी परिवार में एकमात्र कमाने वाला है। अपीलार्थी का 4 माह का बेटा है, जिसका जन्म दिनांक 29.08.2024 (अनुलग्नक–4) को हुआ है। ऐसे अपीलार्थी का दुरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है तो अपीलार्थी के परिवार को काफि कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी के पिता आर्थोपिडिया की बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी के पिता के बाएं हाथ की कार्य क्षमता मोटर साईकिल से दुर्घटना होने पर हाथ में रॉड़ डली हुई है। अपीलार्थी की लगभग 30 वर्षीय बहन है, जो 15 वर्षो से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। अतः अपीलार्थी की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किसी दूरस्थ स्थान पर किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य